महत्वपूर्ण

संख्या- 1500 /पचास-यु0क0-2015-37/विविध/2015

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव,,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनउ।

युवा कल्याण अनुभाग : लखनउ: दिनांक 21 सितम्बर, 2015

विषय- जनपद लखनउ में नवसृजित तहसील सरोजनी नगर के संचालन हेतु सरोजनी नगर स्थित पी0आर0डी0 भवन को उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

कृपया उपयुर्क्त विषयक अपने पत्र संख्या- संख्या-825/सात-भूलेख/2015, दिनांक 09 सितम्बर, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- आपके सन्दर्भित पत्र मंे किये गये अनुरोध कि तहसील सरोजनी नगर के नवीन भवन के निर्माण होने तक, जिसके बनने में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि सम्भावित है, की अवधि तक पी0आर0डी0 के प्रशिक्षण भवन की अस्थायी रूप से आवश्यकता है, के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त भवन जिला प्रशासन को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दिया जाता है :-

1 भवन का स्वामित्व युवा कल्याण विभाग का रहेगा,

2 भवन में स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा,

-2-

3 02 वर्ष की अवधि के पश्चात अर्थात दिनांक 30 सितम्बर, 2017 तक भवन युवा कल्याण विभाग को जिला प्रशासन द्वारा अवश्य हस्तान्तरित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

राजेन्द्र प्रसाद

उप सचिव।

संख्या-1500 /पचास-यु0क0-2015-37विविध/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,

2- आयुक्त, लखनÅ मण्डल, लखनÅ,

3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0,लखनÅ,

4- महानिदेशक, प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण, उ0प्र0,लखनउको उनके पत्रांक- 596/तीन-262/प्रा0वि0द0/1991 टीसी, ,दिनांक 09 सितम्बर, 2015 के सन्दर्भ में,इस निर्देश के साथ कि शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुश्रवण किया जाना सुनिश्चित करें,

5- अपर जिलाधिकारी¼प्रशासन½, लखनÅ,

6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

राजेन्द्र प्रसाद

उप सचिव।